रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1184] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2011/ज्येष्ठ 30, 1933
No. 1184] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2011/JYAISTHA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

का.आ. 1422(अ).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 (जिसे इसमे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1585 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 488.270 कि.मी. से 413.200 कि.मी. (लखनऊ - सीतापुर सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 488.270 कि.मी. से 413.200 कि.मी. (लखनऊ - सीतापुर सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), के विद्यमान खंड का चार लेन की दोहरी सड़क के रुप में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए, निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बी.ओ.टी) आधार पर मैसर्स लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड : जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सी - 66, साऊथ ऐक्सटेंशन - II, नई दिल्ली - 110049 है (जिसे इसमें इसके पश्चात् " रियायतग्राही " कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी

2311 GI/2011

और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	यान का प्रवर्ग	जून 1997 को (प्रति कि.मी. रुपये में) आधार फीस प्रति यान प्रति कि.मी. प्रति फेरे की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार,यात्री वैन या जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी) मिनी बस समेत	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	2.25
5.	अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनरी	3.00

टिप्पण:- इस अधिसूचना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) परियोजना खंड में एक मात्र पथकर प्लाज़ा के मामले में राजमार्ग परियोजना की लम्बाई

या

परियोजना खंड में दो पथकर प्लाज़ाओं के मामले में राजमार्ग परियोजना की आधी लम्बाई

(ख) इस अधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस और एक रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन , स्वतन्त्र परामर्शदाता द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन के चार लेन के पूरा होने पर यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसा यान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निजी यान भी है (कार / यात्री वैन / जीप) जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है, जो सामान्यतया ऐसे स्थान पर निवास करता है या कार्य करता है जहाँ सामान्यतया उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति से अपने कार्य स्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम में उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(iv) "स्थानीय वाणिज्यक यातायात" से ऐसे वाणिज्यक यान अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत सामान या यात्रियों को लाने या ले जाने के लिये बस, ट्रक, हल्के मोटर यान या किसी भी हैं, जो उक्त सेक्शन पर नियमित रूप से चलती हैं (यदि [illegible] भी एक से अधिक पथकर प्लाज़ा प्रदान किए गए हैं)

(v) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(vi) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त सेक्शन के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं , क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।

2. फीस की वास्तविक दर तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होगा , की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{आधार फीस} \;\; X \;\; \frac{\text{थो.की.सू.- ख}}{\text{थो.की.सू.- क}} \;\; X \;\; \text{उक्त खंड की लम्बाई}$$

जहां

- थो.की.सू.- क = जून 1997 को थोक कीमत सूचकांक है (131.4);
- थो.की.सू.- ख = फीस-पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को थोक कीमत सूचकांक है ।

3. फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा पर 468.00 कि.मी. और 420.00 कि.मी पर किया जायेगा ।

4. वर्तमान में 50 कि. मी. की पूरी कर ली गई लम्बाई (419.00 कि. मी. - 469.00 कि. मी.) के लिए फीस संग्रहीत की जाएगी । फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर - प्लाज़ा का अवस्थान	लम्बाई जिसके लिए फीस संदेय है
1.	468 कि.मी	25 कि.मी
2.	420 कि.मी	25 कि.मी

5. कि. मी. 413.200 - कि. मी. 488.270 की पूरी लम्बाई के पूरे होने पर 75.931 कि.मी के लिए फीस फीस संग्रहीत की जाएगी । फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई जिसके लिए फीस संदेय है
1.	468 कि.मी	37.965 कि.मी
2.	420 कि.मी	37.965 कि.मी

6. उक्त सम्पूर्ण खंड को चार लेन का बनाए जाने तक स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार उक्त खंड के कम से कम 50 कि.मी. के लगातार हिस्से को चार लेन का बनाने का काम पूरा कर लेने के पश्चात्, रियायतग्राही उपभोक्ताओं पर फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण का काम प्रारम्भ कर सकेगा; और यदि रियायतग्राही निर्माण की नियत अवधि मे सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना को पूरा करने मे विफल रहता है तो उक्त करार के अनुसार फीस संबंधी अधिसूचना को तत्काल अनाधिसूचित कर दिया जायेगा और सम्पूर्ण राजमार्ग परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

7. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

(i) ऐसे यान

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं अर्थात् :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष अथवा केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य में किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ;

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

8. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्थानीय निजी यातायातः विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायातःविनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पचास प्रतिशत

8(क) जब एक ही यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में, पथकर बूथ को पार करते समय अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे और जहां किसी यांत्रिक यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास या उसके पश्चात् में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुना के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

9. जो उपयोक्ता 24 घंटे के भीतर परियोजना राजमार्गों के एक पूरे चक्कर की यात्रा करना चाहते हों उनसे रियायतग्राही उपयोक्ता फीस की एक तरफ की पूरी यात्रा का डेढ़ गुणा शुल्क लेगा। स्थानीय यातायात के लिए इस मामले में, ऊपर पैरा 8 में उल्लिखित उपबंध लागू नहीं होंगे।

10. जो उपयोक्ता नियमित आधार पर राजमार्गों का उपयोग करना चाहते हैं रियायतग्राही उन्हें मासिक पास जारी करेगा। स्थानीय यातायात सहित ऐसे उपयोक्ताओं को मासिक पास जारी करने की दर एक चक्कर के लिए किए जाने वाले शुल्क का 30 (तीस) गुणा होगी। ऊपर पैरा 8 में उल्लिखित उपबंध स्थानीय यातायात के मामले में लागू नहीं होंगे।

11. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख सहित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले इस अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित करेगा।

12. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी है, पथकर प्लाज़ा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाज़ा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर सहज रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके।

13. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए भेजी जाएगी ताकि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की

प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/433/सी.ओ./11-12/जीसी-लखनऊ (लखनऊ-सीतापुर सेक्शन) बी.ओ.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2011

S.O. 1422(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1585(E), dated 10th November, 2005, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as said Act), entrusted the stretches from Km 488.270—Km 413.200 (Lucknow-Sitapur section) of National Highway No. 24 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Lucknow Sitapur Expressways Limited, having its registered office at C-66, South Extension-II, New Delhi - 110049, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing section from Km 488.270 to Km 413.200 (Lucknow – Sitapur section) of the National Highway No. 24 in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said section) to four lane dual carriageway Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (collection of fees by any person for use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table for the use of said section at the base rate specified in column (3) thereof, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the said Concession Agreement on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

NHAI/13013/433/11-12/CO/GC/BOT (Lucknow Sitapur) section BOT — 04.09.2012

To,
Chief General Manager, Regional Office,
National Highways Authority of India
3/248, Vishal Khand,
Gomti Nagar, Lucknow – 226 01

Sub:- **Annual Validation of user fee at toll plaza at km 420.00 & km 468.00 in respect of Lucknow Sitapur section from Km 413.200 to km 488.270 of NH- 24 on BOT basis in the State of Uttar Pradesh.**

Sir,

Fee rates effective from 01.09.2012 at km 420.00 & km 468.00 in respect of Lucknow Sitapur section from Km 413.200 to km 488.270 of NH- 24 on BOT basis in the State of Uttar Pradesh are mentioned as under:-

Category of Vehicles	Single journey.	Multiple journeys in a day.	monthly pass	Local personal vehicle	Local commercial vehicle
Car/Jeep/Van	35	52	1046	9	17
LCV	61	91	1830		30
Truck/Bus	122	183	3659		61
MAV (> 2 axles)	196	294	5881		98
Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.	261	392	7841		131

2. This issue with approval of Competent Authority.

Thanking you

Yours faithfully

(S. K. Arya)
Manager (CO)-II

Copy to :- (i) Project Director - PIU National Highways Authority of India 1/73G, Vineet Khand, Gomti Nagar Lucknow – 226 010 (UP)
(ii) M/S Lucknow Stapur Expressway Limited

Toll - 24

8/9

...अस्पतालों तक पहुंच... मिलने के बाद स्वास्थ्य ...पोस्टमार्टम के नए दिशा निर्देश ...करने की तैयारी शुरू कर दी है। ...कारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टरों के नाम मांगे गए हैं।

अभी तक पोस्टमार्टम में मौत की वजह या पहचान न होने पर शव का विसरा सुरक्षित रखवा दिया जाता था। कई बार रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं पता चल पाती थी। इसके वजह से आरोपित बच निकलते थे। लावारिस शव की शिनाख्त भी मुश्किल थी। इन्हीं दिक्कतों के मद्देनजर गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पोस्टमार्टम के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक पैरामेडिकल डॉ. बलजीत अरोरा ने बताया कि दुराचारियों की शिनाख्त के लिए शव के नाखून, बाल, त्वचा, खून आदि के नमूनों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लावारिस शव की पहचान में भी यही टेस्ट कराए जाएंगे। लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच होगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मोटे कागज पर लिखी जाएगी। ताकि 10 साल तक रिपोर्ट सुरक्षित रहे। डॉ. अरोरा के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात डॉक्टरों की पोस्टमार्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जिलास्तरी अस्पताल में तबादले के बाद पोस्टमार्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एमबीबीएस में पोस्टमार्टम का कोई पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता है। लिहाजा डॉक्टरों को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पर पहुंची पुलिस ने ठाकुरगंज निवासी मकबूल अली उर्फ शंटी और चौक निवासी अनूप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, दो युवक फरार हो गए। निसं

सार्वजनिक सूचना

एनएच 24 का 413.20 किलोमीटर से 488.27 किलोमीटर तक लखनऊ–सीतापुर 4 लेन एक्सेस नियन्त्रित राजमार्ग परियोजना सेक्शन

उपयोगकर्ता शुल्क की दरें

आम जनता को सूचित किया जाता है कि लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 413.20 किलोमीटर से लेकर 488.27 किलोमीटर तक के हिस्से को 4 लेन की दोहरी मालवाहक सुविधाओं में बदल दिया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एक कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत किया गया है, जिस पर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मैसर्स लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (BOT) के आधार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
...न एग्रीमेन्ट के अनुसार, कन्सेशनेयर, परियोजना सुविधा से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के द्वारा अपने निवेश की पूर्ति करेगा, इस शुल्क का संग्रहण उस दिनांक ...ा जायेगा, जब इसे व्यवसायिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।
इस प्रयोजन के लिए, परियोजना राजमार्ग पर दो टोल प्लाज़ा निर्धारित किये गये हैं, एक 420.700 किलोमीटर पर और दूसरा 467.684 किलोमीटर पर।
शुल्क अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1422 (ई) दिनांकित 20 जून 2011 के अनुसार, अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से प्रभावी होगा और हर साल संशोधन की दिनांक अर्थात 1 सितम्बर से संशोधित और लागू किया जायेगा।

सारणी–1

... किलोमीटर से 488.27 किलोमीटर तक परियोजना राजमार्ग की पूरी लम्बाई जो कि 75.931 किलोमीटर है, पर विचार करते हुए, टोल लगाया जाएगा जो कि प्र... टोल प्लाज़ा पर कुल लम्बाई के आधे, 75.931 km = 37.965 km के लिए लागू राशि के बराबर होगा।

लखनऊ–सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड

75.931 किलोमीटर के परियोजना सेक्शन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की सारणी, 1.9.2012 से प्रत्येक प्लाजा पर लागू होगा।

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	प्रति वाहन किराया/ शुल्क (रू में)				
		एकतरफा यात्रा के लिए				
		राजमार्ग के लिए शुल्क	स्थानीय व्यक्तिगत वाहन के लिए शुल्क	स्थानीय वाणिज्यिक वाहन के लिए शुल्क	24 घण्टों में राउण्ड ट्रिप के लिए शुल्क	मासिक पास
		A	B	C	D	E
1	कार, यात्री वैन या जीप	35	9	17	52	1046
2	मिनी बस सहित हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV)	61	NA	30	91	1830
3	ट्रक / बस	122	NA	61	183	3659
4	मल्टी एक्सल वाहन (>2 एक्सल)	196	NA	98	294	5881
5	अर्थ मुविंग इक्विपमेन्ट और हेवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी	261	NA	131	392	7841
	भुगतान का ज़रिया	नकद/ओबीयू	ओबीयू	ओबीयू	नकद/ओबीयू	ओबीयू

(उपरोक्त कथित शुल्क को संशोधित किया जायेगा और हर साल संशोधन की दिनांक अर्थात् 1 सितम्बर से लागू किया जायेगा।)

NA - लागू नहीं

नोट:

1) यह मुद्दा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति द्वारा की गई है।
2) परियोजना के लिए मान्य शुल्क 420.700 किलोमीटर पर और 467.684 किलोमीटर पर स्थित प्लाज़ाओं पर संग्रहित किया जाएगा।
3) निम्नलिखित वाहनों के सम्बन्ध में कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा या संग्रहित किया जायेगा, नामतः–
   (i) वाहन–
   (A) जिन पर "वीआईपी" का प्रतीक हो या जो अधिकारिक रूप से निम्नलिखित लोगों से सम्बन्धित हों:–
      a) भारत के राष्ट्रपति
      b) भारत के उपराष्ट्रपति
      c) राज्य के गवर्नर और केन्द्र शासित प्रदेश के लेटिनेन्ट गवर्नर
      ...) भारत के दौरे पर आए कोई विशिष्ट अतिथि
      ...) भारत में तैनात कोई विदेशी राजनायिक जो "CD"/"CC" नम्बर प्लेट की कार का इस्तेमाल कर रहा हो।
      ...) राज्य सभा के चेयरमैन या लोक सभा के स्पीकर या किसी राज्य की विधान परिषद के चेयरमैन या किसी राज्य की विधान सभा के स्पीकर या केन्द्र या राज्य का कोई मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य की विधान सभा में विपक्षी दल का नेता जिसके पास केबिनेट मंत्री का दर्जा हो और यदि वह वाहन में बैठा हो; अथवा
      g) पूरे देश में संसद का सदस्य या सम्बन्धित राज्य की विधान सभा का सदस्य या सम्बन्धित राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह संसद अथवा राज्य के सम्बन्धित विधान के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।
   (B) किसी बहादुरी के पुरस्कार के विजेता जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ती चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, यदि इस प्रकार का कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।
   (ii) डिफेन्स के वाहन, इसमें वे वाहन शामिल हैं जो भारतीय टोल (थल सेना और वायु बल) अधिनियम, 1091 के प्रावधान तथा उसके तहत आने वाले नियमों (जैसा कि नेवी के द्वारा विस्तृत किया गया हो) के अनुसार छूट के पात्र हैं।
   (iii) पुलिस के वाहन, अग्नि शमन वाहन, एम्बुलेन्स, अन्तिम संस्कार के वाहन, डाक और टेलीग्राफ विभाग के वाहन, केन्द्रीय और राज्य सरकार के वाहन जो ड्यूटी पर हों।
4) छूट की निम्नलिखित दरें स्थानीय यातायात के लिए मान्य होंगी।
   A) स्थानीय व्यक्तिगत यातायातः– वाहन की विशेष श्रेणी के लिए मान्य शुल्क का पच्चीस प्रतिशत।
   B) स्थानीय वाणिज्यिक यातायातः– वाहन की विशेष श्रेणी के लिए मान्य शुल्क का पचास प्रतिशत।
5) उपयोगकर्ता के पास पहली यात्रा के समय टोल से जाते वक्त निर्धारित कीमत की डेढ़ गुना राशि के भुगतान का विकल्प होगा, जो 24 घण्टे के भीतर परियोजना राजमार्ग को एक पूरा राउण्ड ट्रिप लेना चाहता है।
6) कन्सेशनेयर उन उपयोगकर्ता के लिए मासिक पास जारी करेगा (स्थानीय यातायात सहित) जो नियमित रूप से परियोजना राजमार्ग का उपयोग करना चाहते हैं और इसके लिए मान्य दर 30 गुना होगी और एकतरफा यात्रा के लिए पूर्ण मान्य शुल्क होगा। स्थानीय के लिए, पैराग्राफ 4 का प्रावधान लागू नहीं होगा।
7) विभिन्न नियमों और शर्तों के लिए आवेदन प्रक्रिया के साथ लागू दिशानिर्देशों पर विस्तृत जानकारी अनुरोध पर, उपयोगकर्ता शुल्क के शुरू किये जाने से पहले सम्बन्धित टोल प्लाज़ा के उपभोक्ता काउन्टर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

लखनऊ–सीतापुर एक्सप्रेसवेज़ लिमिटेड
एनएच 24 पर लखनऊ– सीतापुर 4 लेन एक्सेस नियन्त्रित राजमार्ग परियोजना
गज़ट अधिसूचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक हित में जारी

अस्वीकरणः– इस सार्वजनिक सूचना को आम जनता की जानकारी के लिए उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार जारी किया जा रहा है और कन्सेशनेयर ने कथित अधिसूचना के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किये हैं। कन्सेशनेयर इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ब्या... द... 9.9...
FOR ROU...
Terms & Conditions...
* Terms & Conditions...
Offer valid till stocks la...
Maruti Suzuki Dealers: ...
KTL (Indira Nagar) 409...
PREM MOTORS(Sanjay ...
Road Junction) 2554922...
KANPUR: KTL (Chunni ...
Nagar) 05944-241555 ...
259525/259625 JAUNP...
PUBLICIS CAPITA...

हिन्दुस्तान dt. 21/09/2012

racket. The state cooperative officials refused to reveal the ne of the politician and the eaucrat.

'We will grill the politician and reaucrat soon," an officer said. On last Saturday, sleuths of the l had grilled former higher edu- ation minister Rakesh Dhar ripathi. As per the sources, ripathi told the sleuths that no roject was sanctioned to the ACCFED when he was the min- ster and nor did he take 'com- nission' for releasing funds.

The then general manager of ACCFED, Pankaj Tripathi, chief engineer GS Srivastava and accounts officer AK Agarwal were taken into custody and grilled by cooperative cell officers.

General Manager (F&A)

ST. JOHN'S COLLEGE, AGRA

(A Minority College of Church of North India, affiliated to Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra U.P.)

REQUIRED

Applications are invited on prescribes application form for the following posts (Under self Financing Scheme) in B.Ed. Faculty

Lecturers - 06

Minimum qualifications for the above posts will be according to the NCTE/Dr. B.R. Ambedkar University, Agra/UGC Norms.

Application forms in triplicate can be obtained from the college office on payment of Rs. 200/- or through DD of Rs. 225/- (payable to the Principal, St. John's College, Agra)

Completed Application forms in triplicate along with attested copies of mark sheets, degrees, certificates, testimonials etc. as proof of qualifications, must reach at the following address by registered post within 21 days of the publication of the advertisement.

The Principal,
St. John's College, Agra -282 002 (U.P.)

PUBLIC NOTICE

Lucknow–Sitapur 4 Lane Access Controlled Highway Project Section of NH24 from Km 413.20 to Km 488.27

Rates of User Fee

This is to inform to all public that the Lucknow – Sitapur stretch of National Highway No 24 between 413.20 Km to 488.27 Km has been upgraded to 4 lane dual carriageway facilities. The project has been implemented under a Concession Agreement, signed between National Highways Authority of India and M/s Lucknow Sitapur Expressway Limited on Build, Operate and Transfer (BOT) basis.

As per the Concession Agreement, the Concessionaire is entitled to recoup investment by collection of user fee from commuters of the project facility with effect from the date when the facility is commercially thrown open to the traffic.

For this purpose, two toll plazas have been erected on the Project Highway, namely one at Km 420.700 and other at Km 467.684.

As per the fee notification no S.O.1422 (E) dated 20th June 2011, notified user fee will be effective from the date of commercial operation and shall be revised and levied with effect from the **revision date i. e. from 1st September every year.**

Table - 1

Considering entire length of the project highway from Km 413.200 to Km 488.27 which is 75.931 km, toll will be levied at each toll plaza equivalent to the amount applicable for half of the total length of 75.931 km = 37.965 km.

Lucknow - Sitapur Expressway Limited

Schedule of User Fee for Project section of 75.931 Km applicable at each plaza with effect from 1.9.2012

S. No.	Category of vehicle	Tariff / Fee per vehicle (in Rupees)				
		For One way trip			Fee for round trip in 24 hours	Monthly Pass
		Fee for the stretch	Fee for local personal vehicle	Fee for local commercial vehicle		
		A	B	C	D	E
1	Car, Passenger van or jeep	35	9	17	52	1046
2	Light Commercial Vehicle (LCV) including Mini bus	61	NA	30	91	1830
3	Trucks or Bus	122	NA	61	183	3659
4	Multi Axle Vehicle (>2 Axle)	196	NA	98	294	5881
5	Earth moving equipments and heavy construction machinery	261	NA	131	392	7841
	Mode of payment	Cash/OBU	OBU	OBU	Cash/OBU	OBU

NA - Not applicable

(The aforesaid fee shall be revised and levied with effect from the **revision date i. e. from 1st September every year.**)

Note: -

1) This issue has the approval of the competent authority.
2) The fee shall be collected at the plazas situated at Km 420.700 and Km 467.684 of the Project Highway.
3) No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
   (i) Vehicles-
   (A) Having "VIP" symbols or officially belonging to:-
      a) the President of India;
      b) the Vice-President of India;
      c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union Territory;
      d) a Foreign dignitary on State visit to India;
      e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;
      f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a state Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
      g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his Identity Card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
   (B) Belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
   (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provision of Indian Toll (Army and Air Force) Act,1091 and the rules made there under (as extended to Navy);
   (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
4) The following discounted rates shall be applicable for local traffic.
   A) Local Personal traffic: - Twenty five percent of the applicable fees of General User for the specific category of vehicle.
   B) Local Commercial traffic: - Fifty percent of the applicable fees of General User for the specific category of vehicle.
5) The user shall have the option to pay one and half time of notified rate while crossing the section for the first trip itself, who intend to complete a round trip within 24 hours.
6) Concessionaire shall issue monthly passes to users (including local traffic) who intend to use the Project Highway on regular basis and the rate applicable shall be 30 times the full applicable fee for one way trip. For local, provision of paragraph 4 shall not be applicable in this case.
7) Detailed information on applicable guidelines along with application procedure for various terms and conditions will be made available on request at the customer counter of respective toll plaza prior to commencement of user fee.

LUCKNOW-SITAPUR EXPRESSWAYS LIMITED
Lucknow –Sitapur 4 Lane Access Controlled Highway Project on NH24
Issued in Public Interest to fulfill the requirements of Gazette Notification

Disclaimer:- The Public notice is being issued as per the aforesaid notification for the information of General Public and the concessionaire has made best effort to inform the General Public the substance of the aforesaid notification. The concessionaire is not responsible for any discrepancies or any inconsistencies in this regards.

Solapur University, S

Search Committee invites applica

Vice-Chancello

ır University is an institution of H
Vocrofessional & Liberal educational
and aduate level, using the moder
unden system of higher education. Th
1st A04. The university has 517 Acres
with lent infrastructure for each schoo
Centeen established for carrying out
for rs and / or industrialists in and arc
start and UPSC coaching center for S
assim BARTI. Solapur University is a
whicccessfully conducted 3 Ph.D E
stan down by the U.G.C. The Univers
scho with adoption of credit system ar
unde of 7 schools. More than 80,000
cour affiliated colleges and on the U
has n the field of academics, cultur
numln awards for tree plantation, soil
credi

ɔvernment of Maharashtra h
Univt, 1994 vide Maharashtra Act N
2009vides for a transparent and an c
Vice ; with an objective to select a sc
and ive abilities, who would be able
Centemic and professional excellen

ncellor and Hon'ble Governor of
mem Commitee for recommending s
Chan

ch Committee now invites nomi
acadvho fulfill the qualifications and
of Vicor as per the Government Orde
willinhis challenging assignment for t
detail essential qualifications and exp
desir competencies and the format
webssu.digitaluniversity.ac

ɔn appointed as the Vice-Cha
and c his contract of service, hold c
yearsate on which he enters upon
of 65chever is earlier, and shall n
Intereuals may submit a detailed r
the Ubsite, along with two-page jus
two-ptatement for the university ar
distin viduals well acquainted with
nomii candidates.

n Committee has appointed **D**
PuneGaneshkhind, Pune - 411 0
Emaiþune.ac.in **as a Nodal Office**

ıs / Application may be sent t
on or October, 2012. Applications
consi

short-listed candidates may
with tbmmittee.

xcellent opportunity for edu
presti of higher learning to great
resea

DGIPR/2

9/9

Hindustan Times - 21/09/2012